झारखण्ड विधान सभा

झारखण्ड जल संसाधन नियामक प्राधिकार विधेयक, 2014

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड जल संसाधन नियामक प्राधिकार विधेयक 2018

(सभा द्वारा यथापारित)

विषय–सूची

धाराएँ।

अध्याय–I
प्रारंभिक

1. संक्षित नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ
2. परिभाषायें

अध्याय–II
प्राधिकार की स्थापना

3. प्राधिकार की स्थापना
4. प्राधिकार के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यता
5. अध्याय या सदस्य होने के लिए निरहर्ता
6. खोज समिति का गठन तथा कार्य
7. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा–शर्त्ते।
8. अध्यक्ष या सदस्य को हटाया जाना
9. अधिकारियों और कर्मचारियों को प्राधिकार में प्रतिनियुक्त करने की राज्य सरकार की शक्तियाँ और उनकी सेवा शर्त्ते
10. प्राधिकार की कार्यवाही
11. रिक्तियाँ आदि के कारण कोई कार्य या कार्यवाही अवधि मान्य नहीं।

अध्याय–III
प्राधिकार की शक्तियाँ, कार्य और कर्त्तव्य

12. प्राधिकार की शक्तियाँ, कार्य और कर्त्तव्य
13. प्राधिकार की सामान्य नीतियाँ

अध्याय–IV
खातों की लेखा, लेखा परीक्षा (अंकेक्षण) एवं प्रतिवेदन

14. प्राधिकार का बजट (आय–व्यय का लेखा)
15. प्राधिकार को अनुदान और अग्रिम
16. प्राधिकार लेखा
17. प्राधिकार का वार्षिक प्रतिवेदन

अध्याय–V
प्रकीर्ण

18. राज्य सरकार की सामान्य शक्तियाँ
19. प्राधिकार के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी एवं अन्य कम्रचारी को केन्द्रीय अधिनियम (सेन्ट्रल एक्ट) 45, 1860 के अधीन लोक सेवक होना
20. सद्भावनापूर्वक की गयी कार्रवाई का सरंक्षण
21. नियम बनाने की शक्ति
22. विवाद समाधान क्रियाविधि
23. विनियमों को बनाने के लिए प्राधिकार की शक्तियाँ समस्याओं के
24. समाधान हेतु प्रदत्त शक्तियाँ
25. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

झारखण्ड जल संसाधन नियामक प्राधिकार विधेयक--2014

(सभा द्वारा यथापारित)

झारखण्ड राज्य के अंतर्गत जल संसाधनों के विनियमन, जल के पीने, कृषि, औद्योगिक और इससे सम्बन्धित या अनुषंगिक अन्य प्रयोजनों के लिए सतत् और वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु इसके प्रभावी उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिये झारखण्ड राज्य जल संसाधन नियामक प्राधिकार की स्थापना के उपबंध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में झारखण्ड विधानमण्डल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :--

अध्याय I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

(1) यह अधिनियम झारखण्ड जल संसाधन नियामक प्राधिकार अधिनियम 2014 कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह उस तिथि को प्रवृत होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

(4) इस अधिनियम के उपबंध बंगाल सिंचाई अधिनियम, 1875 और बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होने पर भी लागू होंगे।

2. परिभाषायें

(1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "कार्य क्षेत्र" से अभिप्रेत है, झारखण्ड का सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र, जहाँ जल का प्रबंध तथा वितरण विभिन्न उपयोग क्षेत्रों को सार्वजनिक या निजी संस्थानों द्वारा किया जाता हो अथवा जो क्षेत्र बाढ़ सुरक्षा तथा जल निकासी के कार्य द्वारा लाभान्वित होता हो ;

(ख) "बेसिन" से अभिप्रेत नदी के आसपास का भूमि क्षेत्र जहाँ धाराएँ नीचे चली गई हो ;

(ग) "थोक जल हकदारी" से अभिप्रेत है, हकदारी आदेश में यथा उपबंधित अवधि हेतु परियोजना, नदी प्रणाली या भंडारण सुविधा द्वारा उत्पादित जल संसाधनों में हिस्सेदार के लिए प्राधिकार द्वारा दिया गया अनुमापी प्राधिकरण ;

(घ) "उपकर" से अभिप्रेत हैं, ऐसी राशि जो बाढ़ सुरक्षा तथा जल निकासी कार्य से लाभान्वित भूमि के मालिक/पट्टाधारकों पर प्रभार्य हो ;

(ड.) "हकदारी" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन प्राधिकार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए जल के उपयोग करने का दिया गया प्रधिकरण ;

(च) "उपयोग की श्रेणी" से अभिप्रेत है, विभिन्न प्रयोजनों हेतु जल का प्रयोग यथा--घरेलू, कृषि, सिंचाई, कृषि आधारित उद्योगों, औद्योगिक या वाणिज्यिक,

पर्यावरण संबंधी , ऊर्जा उत्पादन आदि, और ऐसे अन्य प्रयोजन शामिल हैं जो विहित किया जाय ;

(छ) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है प्राधिकार का अध्यक्ष ;

(ज) "प्राधिकार" से अभिप्रेत है धारा–3 के तहत स्थापित झारखण्ड जल संसाधन नियामक प्राधिकार ;

(झ) "सरकार" या "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, झारखण्ड सरकार ;

(ञ) "सिंचाई परियोजना" से अभिप्रेत है, वह परियोजना जो कमान क्षेत्र मे अवस्थित भूमि पर परियोजना प्रतिवेदन और इस सम्बंध में निर्गत आदेश, जो समय–समय पर संशोधित हो, के आलोक में सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु निर्मित हो ;

(ट) "सदस्य" का अभिप्रेत है, प्राधिकार का सदस्य जिसमे अध्यक्ष भी शामिल है।

(ठ) "अधिसूचना" से अभिप्रेत है, झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना एवं अधिसूचित शब्द का अर्थ भी इसी प्रकार से होगा।

(ड) "विहित" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन या इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित ;

(ढ़) "खोज समिति" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा–6 के अधीन गठित चयन समिति ;

(ण) "राज्य" से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य ;

(त) ''जल उपयोगकर्त्ता संगठन'' या ''जल समिति'' से अभिप्रेत है बिहार सिंचाई अधिनियम 1997 के तहत गठित समिति ;

(2) बिहार सिंचाई अधिनियम संख्या 11, 1997

इस अधिनियम में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति जिसे इस अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु जो राज्य के विभिन्न सिंचाई और जल संसाधन से सम्बिन्धित अधिनियमों में परिभाषित है, का अर्थ वही होगा जो उन अधिनियमों में उनके लिए दिए गए है।

अध्याय II

प्राधिकार की स्थापना

3. प्राधिकार की स्थापना

(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तिथि से तीन महीने के भीतर राज्य सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग ओर सौंपे गये कार्य करने के लिए अधिसूचना द्वारा एक प्राधिकार की स्थापना करेगी, जिसे झारखण्ड जल संसाधन नियामक प्राधिकार के रूप में जाना जाएगा।

(2) प्राधिकार एक निगमित निकाय होगा।

(3) प्राधिकार का प्रधान कार्यालय राँची में होगा।

(4) प्राधिकार में राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित एक अध्यक्ष और दो अन्य से अनधिक सदस्य होंगे।

(5) प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति धारा 6 में निर्दिष्ट खोज समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

4. प्राधिकार के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यता

(1) केवल ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त किया जाएगा जो निम्नांकित योग्यता रखता हो :–

(क) **अध्यक्ष**

न्यूनतम योग्यता स्नातक एवं 25 वर्षों तक प्रशासनिक/तकनीकी सेवा के अनुभव के साथ राज्य सरकार में सचिव/ अभियंता प्रमुख स्तर का पद धारण किया हो।

(ख) सदस्य

(i) न्यूनतम योग्यता बी० टेक (सिविल, याँत्रिक, जल विज्ञान एवं संबंधित क्षेत्र) एवं सिंचाई/जल संसाधन के क्षेत्र में कम से कम 25 वर्षों का सेवा अनुभव हो तथा मुख्य अभियंता या समकक्ष पद पर सेवा कर चुके हो।

(ii) एक सदस्य एक ऐसा विशेषज्ञ होगा जिसे अवश्य ही प्रशासनिक कार्य का कम से कम पच्चीस वर्षों का कार्यानुभव हो तथा जो अर्थशास्त्र/कृषि विज्ञान/सांख्यिक/प्रबंधन में मास्टर डिग्री रखता हो अथवा प्रबन्धन में पी०जी० डिप्लोमा हो।

(2) प्राधिकार का अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने कार्याकाल के दौरान कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा।

(3) अध्यक्ष प्राधिकार का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा।

(4) जब अध्यक्ष अनुपस्थिति, बीमारी, मृत्यु, त्याग–पत्र या अन्य कारणों से अपने कर्त्तव्यो का निर्वाह्न करने में असमर्थ हो या जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, अध्यक्ष द्वारा मनोनीत कोई भी सदस्य उसकी तरफ से अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का निर्वह्न करेगा।

5. अध्यक्ष या सदस्य होने के लिए निरहर्ता

(1) एक व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए निरर्हित किया जाएगा :–

(क) यदि वह दिवालिया घोषित किया गया हो ; या

(ख) यदि वह शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने में असमर्थ है; या

(ग) यदि उसे किसी भी अपराध से जुड़े नैतिक अधमता के लिए कारावास की सजा सुनाई गयी है या दोषी पाया गया है।

(घ) उसने वित्तीय या अन्य लाभ हासिल कर लिया है जिससे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कार्यों को प्रभावित होने की संभावना है।

(ड.) उसने अपने पद का दुरूपयोग किया है जिससे उसे पद पर बने रहने से सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ; या

(च) वह संसद या किसी राज्य विधानमण्डल या किसी स्थानीय प्राधिकार का सदस्य हो या वहाँ के लिए चुनाव में एक उम्मीदवार हो ; या

(छ) वह किसी राजनीतिक पार्टी का एक सक्रिय सदस्य है या उसमें कोई पद धारण करता है।

6. खोज समिति का गठन तथा कार्य

(1) राज्य सरकार धारा 3 की उपधारा 5 के अधीन अधिसूचना द्वारा अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक खोज समिति गठित करेगी। समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगें :–

(क) मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार : पदेन अध्यक्ष ;

(ख) अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति जो केन्द्रीय जल आयोग के सदस्य हो : पदेन सदस्य ;

(ग) प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार : पदेन सदस्य ;

(घ) भारतीय प्रबंधन संस्थान, राँची के निदेषक : पदेन सदस्य ;

(ड.) प्रधान सचिव, कृषि विभाग, झारखण्ड सरकार : पदेन सदस्य ;

(2) राज्य सरकार अध्यक्ष या सदस्य की मृत्यु, इस्तीफा या हटाने के कारण हुई रिक्ति के एक माह के अन्दर और सेवा निवृति या कार्यकाल की समाप्ति के छह महीने पहले अध्यक्ष या सदस्य की रिक्ति को भरने के लिये चयन समिति को निर्देश देगी।

(3) अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करते समय खोज समिति उस व्यक्ति के जिसे अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में चयनित किया जाना प्रस्तावित है, यथास्थिति उनके प्रदर्शन रिकॉर्ड, क्षमता, सत्यनिष्ठा, चरित्र, योग्यता और अनुभव को ध्यान में रखेगी।

(4) निर्देश की तारीख से दो महीने के भीतर चयन समिति सदस्यों के चयन को अंतिम रूप देगी।

(5) चयन समिति प्रत्येक निर्देशित (भेजी गयी) रिक्ति के लिए दो नामों के पैनल की सिफारिश करेगी।

(6) वह व्यक्ति जिसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में चयन के लिए विचार गया है निम्नलिखित के बारे में चयन समिति को अधिसूचित करेगा :–

(क) कोई पद, नियोजन या परामर्शकार्य समझौता या व्यवस्था जो उसके अपने या संबंधी के नाम से है अथवा कोई फर्म, व्यष्टि–संगम या निगमित निकाय का स्वत्वधारी है या उनके द्वारा अन्यथा नियंत्रित हो, जिसमें निम्नलिखित कारबार शामिल है :–

(i) सतह जल का दिशा परिवर्तन, पानी का वितरण, भू–जल का निकास या जलापूर्त्ति ;

(ii) जल उद्योग से संबंधित विनिर्माण, बिक्री, पट्टे, किराया अथवा उससे संबंधित मशीनरी की आपूर्त्ति या सौदा ;

(iii) कोई इकाई, जो उपर्युक्त खण्ड (i) और (ii) में निर्दिष्ट किसी व्यापार को व्यावसायिक सेवाएँ प्रदान करती हो।

(ख) चयन समिति द्वारा यथाविहित इस तरह के अन्य विवरण और सूचना।

(7) अध्यक्ष या सदस्य के रूप में व्यक्ति की नियुक्ति और चयन के लिए उनसे से प्राप्त किया गया उप धारा (6) में निर्दिष्ट विवरण खोज समिति के विचार के लिए रखा जाएगा।

(8) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य पद के प्रभार लेने से पहले अपनी नियुक्ति की शर्त्त के रूप में उप धारा (6) में वर्णित व्यापार के लाभ से अपने को अलग (वंचित) रखेंगे।

(9) यदि कोई व्यक्ति जिसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा यदि वह राज्य या केन्द्रीय सरकार या किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के निगम या किसी भी सरकारी निकाय के अधीन कोई पद पर हो या लाभप्रद रूप में नियोजित है अथवा किसी अन्य व्यक्ति, सरकारी प्राधिकार, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र या अन्यथा सेवा में लाभ के पद पर है तो वह प्राधिकार में योगदान देने के पूर्व अपना इस्तीफा प्रस्तुत करेगा या उस सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृति लेगा।

(10) जिस अवधि तक कोई व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य के पद पर रहता है और किसी भी कारण से अध्यक्ष या सदस्य नही रहने के बाद दो वर्षों तक की अवधि तक, वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी पद, नियोजन या परामर्शकार्य व्यवस्था, या उप धारा (6) में वर्णित व्यवसाय में वित्तीय लाभ धारण, अर्जन या ग्रहण नहीं करेगा और यदि वह ऐसे किसी भी लाभ को उत्तराधिकार या वसीयती रूप से प्राप्त करता है तो ऐसे लाभ अर्जन करने के तीन माह के अन्दर खुद को इस लाभ से वंचित कर लेगा ।

(11) किसी भी व्यक्ति की सिफारिश करने से पहले खोज समिति, आश्वस्त हो लेगी कि वह व्यक्ति उप धारा (6) में निर्दिष्ट कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं रखता है, जिससे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने में उसका निर्णय पूर्वाग्रह से प्रभावित हो।

(12) खोज समति के सभी निर्णय बहुमत से लिये जाएंगे।

(13) अध्यक्ष और सदस्यों के चयन और नियुक्ति के लिए ऐसी प्रक्रिया होगी जो निर्धारित की जाए।

(14) अध्यक्ष या एक सदस्य की नियुक्ति खोज समिति में किसी रिक्ति के कारण अमान्य नहीं की जाएगी।

7. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा–शर्तें।

(1) अध्यक्ष या सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से तीन साल की अवधि तक पद धारण करेगा :
परन्तु अध्यक्ष या सदस्य की पुनर्नियुक्ति दो से अनाधिक लगातार अवधि तक हो सकती है :
परन्तु यह और कि अध्यक्ष या सदस्य सत्तर वर्षों की आयु के पश्चात पद धारण नहीं करेंगें।

(2) अध्यक्ष या कोई भी सदस्य किसी भी समय राज्यपाल को लिखित सूचना (notice) देने के तीन माह बाद पद त्याग सकता है या धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार उसे उनके पद से हटाया जा सकता है।

(3) अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य पद ग्रहण करने के पूर्व राज्यपाल या उनके द्वारा निर्धारित किये गये व्यक्ति के समक्ष विहित रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे।

(4) अध्यक्ष या सदस्य को देय वेतन भत्तों और अन्य शर्तें एवं बंधेज ऐसी होंगी जैसी निर्धारित की जाए।

(5) अध्यक्ष या सदस्यों को देय वेतन भत्ते या अन्य सेवा शर्तें उनके चयन के बाद इस रूप में परिवर्त्तित नहीं की जा सकेगी जिससे उनको हानि हो।

(6) अध्यक्ष या सदस्य पद समाप्ति के बाद नहीं करेगा :–

(क) वह सरकार की अनुमति के बिना अपना पद छोड़ने के दो वर्षों की अवधि तक राज्य सरकार के अन्तर्गत अन्य रोजगार के लिए पात्र नहीं होगा,

(ख) अपना पद छोड़ने की तारीख से दो साल की अवधि के लिए वह कोई भी व्यावसायिक रोजगार स्वीकार नहीं करेगा; और

(ग) किसी भी तरीके से प्राधिकार के समक्ष किसी भी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा।
स्पष्टीकरण :– इस उपधारा के प्रयोजनार्थ :–

(i) "राज्य सरकार के अधीन नियोजन" के अन्तर्गत भारत के राज्य क्षेत्र के अन्दर किसी भी स्थानीय निकाय या अन्य प्राधिकार जो किसी राज्य सरकार के नियंत्रण में हों या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगम या समाज (society) में नियोजन शामिल है।

(ii) "वाणिज्यक नियोजन" से अभिप्रेत है किसी भी हैसियत से या एजेंसी के तहत वैसा नियोजन जिसमें एक व्यक्ति जल संसाधनों से संबंधित उद्योग

में वाणिज्यिक, औद्योगिक या वित्तीय कारोबार में लगा हो और इसमें कंपनी का निदेशक या फर्म का भागीदार भी शामिल है और इसमें स्वतंत्र रूप से या फर्म के भागीदार के रूप में या सलाहकार या एक परामर्शी के रूप में अभ्यास करना भी शामिल है।

8. अध्यक्ष या सदस्य को हटाया जाना

(1) उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन, अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उनके पद से तभी हटाया जा सकता है जब राज्य सरकार के निर्देश पर सरकार के सचिव स्तर के तीन अधिकारियों के जाँच अधिकारी के रूप में नियुक्ति के बाद जाँच में कदाचार साबित होता है।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार आदेश द्वारा किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकती है, यदि उसमें धारा 5 में वर्णित अयोग्यता आती हो।

(3) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष या सदस्य को धारा 5 के खण्ड (ख) खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) में विनिर्दिष्ट आधार पर तब तक हटाया नहीं जा सकता जब तक कि राज्य सरकार द्वारा निर्देशित जाँच के आधार पर जाँच अधिकारी इस संदर्भ में जाँच करने के पश्चात् अपनी जाँच रिपोर्ट में यह सूचना न दें कि सदस्य को उक्त आधार पर हटाया जा सकता है।

(4) राज्य सरकार यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन के अनुसार उपयुक्त आदेश पारित करेगी और राज्य सरकार के अंतिम निर्णय को अध्यक्ष या अन्य संबंधित सदस्यों को ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति के 30 दिनों की अवधि के भीतर सूचित किया जायेगा।

9. अधिकारियों और कर्मचारियों को प्राधिकार में प्रतिनियुक्त करने की राज्य सरकार की शक्तियाँ और उनकी सेवा शर्त्तें

(1) अध्यक्ष के नियंत्रण के तहत विनियमों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कर्त्तव्यों के पालन करने के लिये प्राधिकार एक सचिव की नियुक्ति कर सकता है।

(2) प्राधिकार आवश्यक जानकारी राज्य जल संसाधन विभाग से प्राप्त करेगा।

(3) अपने दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्राप्त करने हेतु प्राधिकार आवश्यकतानुसार परामर्शियों की नियुक्ति कर सकता है जिनकी सेवा शर्त्तें विनियमों द्वारा निर्धारित होगी।

(4) प्राधिकार के सचिव, पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्त्तें वहीं होंगी जो नियमों द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(5) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्राधिकार में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों की सेवा शर्त्तें उन्हें प्रतिनियुक्ति से पहले दिये गये लाभ से कम लाभप्रद नहीं होगी तथा उन्हें कम लाभ प्रदान करने के रूप में बदला नहीं जायेगा।

(6) इस संबंध में प्राधिकार द्वारा किए गए प्रस्ताव पर राज्य सरकार प्राधिकार में प्रतिनियुक्ति पर किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति करेगी।

(7) प्राधिकार के अन्तर्गत किसी भी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष होगी और जब वैसे व्यक्ति का प्रत्यर्पण किसी संदर्भ में यथा–पदोन्नति, वापसी, समाप्ति या सेवानिवृति की वजह से या प्रतिनियुक्ति के किसी अन्य कारण से आवश्यक हो तब उसकी सेवा राज्य सरकार के अधीन प्रत्यर्पित की जाएगी। परन्तु ऐसी प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान वेतन, छुट्टी, भत्ते, सेवानिवृति, पेंशन, भविष्य निधि और प्रतिनियुक्त कर्मचारियों की अन्य सेवा शर्तें झारखण्ड सिविल सेवा नियमावली या इस प्रकार के अन्य नियमों जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बनाए जाते हों, के अन्तर्गत विनियमित होंगे।

10. प्राधिकार की कार्यवाही

(1) प्राधिकार राज्य के भीतर ऐसे समय और जगह पर बैठक करेगा जो अध्यक्ष को उचित लगता हो और अपनी बैठकों (अपनी बैठकों में गणपूर्ति सहित) में कार्य संव्यवहार के लिए ऐसी प्रक्रियागत नियमों का पालन करेगा जो विनियमों के द्वारा निर्धारित किया जाए।

(2) अध्यक्ष यदि बैठक में उपस्थित नहीं हो सकता है तो उसके द्वारा इस निमित मनोनीत सदस्य प्राधिकार की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत सभी मामलों का निर्णय उपस्थित सदस्यों के मतों के मतदान एवं बहुमत द्वारा किया जाएगा और मतों की समानता की स्थिति में अध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को दूसरी या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(4) प्राधिकार के सभी निर्णय, निदेश तथा आदेश लिखित रूप में आधारित कारणों के साथ होंगे तथा उसे किसी भी व्यक्ति के निरीक्षण के लिये उपलब्ध कराया जाएगा तथा उसकी प्रतियाँ प्राधिकार द्वारा निर्धारित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) प्राधिकार अपनी प्रक्रिया को स्वयं विनियमित करेगा।

(6) प्राधिकार के सभी आदेश और निर्णय प्राधिकार के सचिव या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किया जाएगा।

11. रिक्तियाँ आदि के कारण कोई कार्य या कार्यवाही अवधि मान्य नहीं ।

प्रधिकार के किसी कार्य या कार्रवाई पर आपति नहीं की जाएगी या उसे प्राधिकार के गठन में कोई रिक्ति या दोष के आधार पर अविधि मान्य नहीं किया जाएगा।

अध्याय III

प्राधिकार की शक्तियाँ, कार्य और कर्त्तव्य

12. प्राधिकार की शक्तियाँ, कार्य और कर्त्तव्य

(1) प्राधिकार की शक्तियाँ, कार्य और कर्त्तव्य निम्नलिखित होंगे :–

(क) वार्षिक/मौसमी आधार पर पानी के विभिन्न प्रकार के उपयोगों, साथ हीं साथ प्रत्येक उपयोग (जैसे सिंचाई, नगर/ग्रामीण क्षेत्र पेयजलापूर्त्ति/उधोग इत्यादि) के लिए हकदारी के बँटवारा को निर्धारित एवं विनियमित करना।

(ख) फसल के वार्षिक/मौसमी आधार पर परियोजना प्राधिकारों द्वारा अनुमोदित फसल पद्धति के आधार पर विभिन्न किसान संगठनों (यथा–परियोजना समिति, वितरक समिति और जल उपयोगकर्त्ता संस्था) के लिए सिंचाई के पानी की आवश्यकता का निर्धारण एवं उसे लागू करना।

(2) (क) घरेलू, कृषि, उधोग एवं अन्य व्यवसायों में प्रयुक्त सतही एवं भू–गर्भीय जल के प्रयोग हेतु जल टैरिफ को निर्धारित एवं नियमित करना ;

(ख) सिंचाई/बहुउद्देशीय पानी परियोजना को उचित संचालन और रखरखाव (ओ एवं एम) की लागत निर्धारण करना ;

(ग) जल संसाधन क्षेत्र की लागत एवं राजस्व की समय–समय पर पुनरीक्षण एवं मोनिटरिंग करना।

(घ) सेवा प्रदानता की गुणवत्ता को प्रणाली परिचालन और रखरखाव के अभाव से प्रभावित होने से बचाव सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकार द्वारा ऐसी परियोजनाओं के पूर्ण संचालन व रखरखाव की निर्धारित आवश्यकताओं के लिये राज्य सरकार को मानक उपलब्ध कराना।

(3) सिंचाई के पानी के कुशल प्रबंधन को बढ़ावा देना :

(क) किसान संगठनों को सिंचाई प्रणाली के संचालन और रखरखाव तथा सेवाओं के मानकों को उपलब्ध कराने के लिए जुताई के बाद की प्रक्रिया तथा रखरखाव राशि तथा दिशानिर्देश/प्रक्रिया/रूपरेखा प्रदान करना ;

(ख) सिंचाई प्रणाली के चक्रीयमरम्मत और न्यूनतम पुनर्वास, के लिए तकनीकी मानकों के संचालन और रखरखाव का अनुश्रवण ;

(ग) सुनिश्चित करना कि परियोजना प्राधिकारों द्वारा सिंचाई में आदयोपांत सिद्धान्त कार्यान्वित किया जाता है।

(4) जल संसाधनों के कुशल उपयोग एवं पानी के अपव्यय को कम करने के लिए बढ़ावा देना :–

(क) विभिन्न उपयोगकर्त्ताओं/विभागों द्वारा जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए गुणवत्ता मानकों को निर्धारित करना एवं उसकी निगरानी करना और उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करना ;

(ख) विभिन्न जल संसाधन सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुबद्ध (stipulated) सेवाओं की गुणवत्ता के मानकों का निर्धारण एवं निगरानी का कार्यान्वयन करना तथा उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करना ;

(5) परियोजना प्राधिकार द्वारा निम्नलिखित जानकारी युक्त एक वार्षिक रिपोर्ट के प्रकाशन को सुनिश्चित करना :

(क) परियोजनावार एवं बेसिनवार सिंचाई क्षमता और उसके वास्तविक उपयोग जल उपयोगकर्त्ता दक्षता एवं उत्पादकता के विवरण सहित सिंचाई से संबंधित सभी सांख्यिकीय डाटा को अन्तर्विष्ट करते हुए सिंचाई की प्रास्थिति ;

(ख) अन्य परियोजनाओं से प्रतिस्पर्धा के लिए सर्वोतम प्रबंधन पद्धति के साथ परियोजनाओं की पहचान हेतु सिंचाई/बहुद्देशीय जल परियोजनाओं का निर्देशचिह्न अंकित करना ;

(ग) सिंचाई/बहुद्देशीय जल परियोजना को व्यवस्थित और वैज्ञानिक पहचान देने के लिए परियोजनओं की लेखा परीक्षा ;

(6) (क) प्राधिकार निर्धारण के अनुसार उनके सदस्यों को सेवा परिदान सुनिश्चित करने के लिए किसान संगठनों एवं अन्य जल उपयोक्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन/हतोत्साहन हेतु उपयुक्त क्रिया विधि का उपाय करेगा ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन शक्तियों को निर्वहन में विशिष्ट निदेशों के अनुपालन नहीं किए जाने पर प्राधिकार सरकार के ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार को उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश करेगा।

(7) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से प्राधिकार के सौपें गए किसी अन्य शक्तियों, कार्यों और कर्त्तव्यों का सम्पादन करना।

13. प्राधिकार की सामान्य नीतियाँ

प्राधिकार राज्य जल नीति और राज्य के अन्य मौजूदा कानूनों की रूपरेखा के अनुसार काम करेगा।

अध्याय – IV

खातों की लेखा, लेखा परीक्षा (अंकेक्षण) एवं प्रतिवेदन

14. प्राधिकार का बजट (आय–व्यय का लेखा)

प्राधिकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्रारूप में एवं ऐसे समय तक, जैसा विहित किया जाए, अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट (आय–व्यय का लेखा) तैयार करके सरकार को अग्रसारित करेगा।

15. प्राधिकार को अनुदान और अग्रिम

सरकार राज्य विधान मंडल द्वारा इस निमित विधिवत किए गए विनियोग के बाद प्राधिकार को वैसे अनुदान और अग्रिम प्रदान कर सकती है जो इस अधिनियम के अधीन इसे अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन एवं कार्यों के सम्पादन के लिए आवश्यक समझे, और सभी अनुदान और अग्रिम राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित शर्त्तों के अधीन दिया जाएगा।

16. प्राधिकार लेखा

(1) प्राधिकार उचित खातों और अन्य सुसंगत अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा और महालेखाकार के परामर्श से सरकार द्वारा यथा निर्धारित फारम में खातों का वार्षिक विवरण तैयार करेगा।

(2) प्राधिकार के लेखा की लेखा परीक्षा महालेखाकार द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो वह विनिर्दिष्ट करें।

(3) इस अधिनियम के अधीन महालेखाकार और लेखा परीक्षा के संबंध में प्राधिकार के खातों की लेखा परीक्षा के सिलसिले में उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को वही अधिकार व विशेषाधिकार होंगे जो आमतौर पर महालेखाकार को सरकारी लेखा परीक्षा के संबंध में प्राप्त है और विशेष रूप से उसे रजिस्टर, लेखा संबंधित रसीद और अन्य कागजात और कागज की मांग करने तथा प्राधिकार के किसी कार्यालय के निरीक्षण करने का अधिकार भी होगा।

(4) महालेखाकार या इस निमित उसके द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित प्राधिकार के लेखा तथा उसपर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को प्राधिकार द्वारा सरकार को वार्षिक रूप से अग्रसारित किया जाएगा।

17. प्राधिकार का वार्षिक प्रतिवेदन

(1) प्राधिकार प्रत्येक वर्ष में एक बार पिछले वर्ष की गतिविधियों का सारांश देते हुए यथाविहित फारम एवं समय से एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा और उसकी प्रति सरकार को भेजी जाएगी।

(2) उप धारा (1) के अधीन प्राप्त प्रतिवेदन/रिपोर्ट की प्रति प्राप्ति के छह महीने के भीतर राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखी जाएगी।

अध्याय V

प्रकीर्ण

18. राज्य सरकार की सामान्य शक्तियाँ

सरकार को समग्र योजना और समन्वय सहित राज्य में जल से संबंधित मामलों पर प्राधिकार को नीति निर्देश जारी करने की शक्ति होगी।

19. प्राधिकार के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी को केन्द्रीय अधिनियम (सेन्ट्रल एक्ट) 45, 1860 के अधीन लोक सेवक होना

प्राधिकार के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को, जब वे इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किसी उपबन्ध के अनुपालन की कार्रवाई कर रहे हो या उनके द्वारा कार्रवाई करना तात्पर्यित हो तब उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

20. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई का संरक्षण

सरकार या प्राधिकार और सरकार के अधिकारी या प्राधिकार के किसी सदस्य, अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरूद्ध किसी ऐसी बात के लिए जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गए नियमों या विनियमों के अधीन सदभावपूर्वक की गई है या जिसका सदभावपूर्वक किया जाना तात्पर्यित है, कोई वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं चलायी जाएगी।

21. नियम बनाने की शक्ति

(1) राज्य सरकार पिछले प्रकाशन के शर्त्त के अध्यधीन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात, यथाशीघ्र राज्य विधानमण्डल के समक्ष, जब वह चौदह दिनों की कुल अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र या दो या अधिक उत्तरवर्त्ती सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा, और यदि, उस सत्र के अवसान के पूर्व, जिसमें इसे रखा गया है अथवा ठीक अनुवर्ती सत्र में विधान मंडल नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाता है अथवा वह सहमत होता है कि यह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, और इस आशय का अपना विनिश्चय राजपत्र में अधिसूचित करता है तो राजपत्र में ऐसा विनिश्चय प्रकाशित होने की तारीख से यह नियम यथास्थिति, केवल उपांतरति रूप में प्रभावी होगा अथवा इसका कोई प्रभाव नहीं होगा तथापि ऐसे किसी उपांतरण या बातिलीकरण से उस नियम के अधीन पूर्व में की गयी या किए जाने से लोप की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

22. विवाद समाधान क्रियाविधि

(1) अपनी ओर से जारी किए गए आदेश के द्वारा सरकार इस अधिनियम के अधीन निर्धारित जल के वितरण के संबंध में विवादों के समाधान हेतु प्रत्येक परियोजना के लिए किसी भी सक्षम अधिकारी या अधिकारियों को प्रारम्भिक विवाद समाधान पदाधिकारी के रूप में प्राधिकृत कर सकती है।

(2) प्राथमिक विवाद समाधान अधिकारी ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो विवादों की सुनवाई के दौरान निर्धारित की जाए।

23. विनियमों को बनाने के लिए प्राधिकार की शक्तियाँ

प्राधिकार राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए विनियमों के साथ सुसंगत कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए विनियम बना सकता है।

24. समस्याओं के समाधान हेतु प्रदत्त शक्तियाँ

(1) जनहित से संबंधित नीति के मामले में सरकार प्राधिकार को लिखित रूप में सामान्य या विशेष निर्देश जारी कर सकती है तथा प्राधिकार को ऐसे निर्देशों पर कार्रवाई करना एवं पालन करना बाध्यकारी होगा।

(2) यदि यह प्रश्न खड़ा हो जाये कि इस प्रकार का दिया गया निर्देश जनहित से संबंधित है अथवा नहीं तो इस संबंध में सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

25. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट या तत्समय प्रवृत किसी अन्य अधिनियमन के कारण कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अवसरानुकूल संशोधन परिवर्द्धन या विलोपन जिसे करना वह आवश्यक और समीचीन समझे, आदेश द्वारा निर्देशित कर सकती है जो ऐसी अवधि जो इस आदेश के बाद बारह महीने से अधिक न हों, के दौरान प्रभावी होगा।

यह विधेयक झारखण्ड जल संसाधन नियामक प्राधिकार विधेयक 2014 दिनांक—05 अगस्त, 2014 को झारखण्ड विधान सभा में उदभूत हुआ और दिनांक—05 अगस्त, 2014 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(शशांक शेखर भोक्ता)

अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 42—50—19—8—2014।